PRESS NOTE MEERUT RANGE

जनपद गाजियाबाद प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 13.05.19

गौकषी में 03 अभियुक्त,मय 01 चाकू, 2 गांडासा,रस्सी आदि के गिरफ्तारः– थाना लोनी पुलिस द्वारा दिनांक 12.05.19 को समय 23:05 बजे मुस्थफाबाद से अभियुक्तगण 1–भूरा पुत्र निजामुददीन निवासी मुस्थफाबाद लोनी गा0बाद 2–सरफराज पुत्र सब्बीर निवासी गरिमा गार्डन भोपुरा सा0बाद गा0बाद 3–वकील पुत्र बषीर निवासी कंचनपार्क थाना लोनी गा0बाद। को गिरफ्तार किया है जिनके कब्जे से 01 चाकू, 02 गडासा, रस्सी बरामद हुयी है।

250 ग्राम अवैध नषीला पाउडर सहित 1 अभियुक्त गिरफ्तारः– थाना लोनी पुलिस द्वारा दिनांक 12.05.19 को समय 21:05 बजे कसाना फार्म हाउस अषोक विहार से अभियुक्त सरफाद पुत्र बुन्दू निवासी लाला के ऑफिस के पीछे अषोक विहार लोनी गा0बाद को गिरफ्तार किया है जिसके कब्जे से 250 ग्राम अवैध नषीला पाउडर बरामद हुआ है।

दिनांक 11.05.19 अपने भाई जितेन्द्र की हत्या करने वाला शातिर अभियुक्त मय आलाकत्ल चाकू के गिरफ्तार - दिनांक 12.05.19 को वादिया सविता पुत्री धर्मपाल निवासी ग्राम धेदा थाना मुरादनगर जनपद गाजियाबाद ने थाना मुरादनगर पर तहरीर दी कि दिनांक 11.05.19 को बडे भाई शेर सिंह उर्फ शेरु व जितेन्द्र उर्फ जीतू के बीच शराब पीने को लेकर झगडा हो गया था सुबह 6 बजे उठकर देखा तो जितेन्द्र उर्फ जीतू मृत हालत मे है जिसकी शेर सिंह उर्फ शेरु द्वारा चाकू मारकर हत्या कर दी है। जिसके सम्बन्ध मे थाना मुरादनगर पर मु0अ0सं0 386/19 धारा 304 भादवि बनाम शेर सिंह उर्फ शेरु पंजीकृत किया गया तथा मौके से फरार अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

दिनांक 12.05.19 को थाना मुरादनगर पुलिस द्वारा समय 19.00 बजे रेलवे स्टेशन मुरादनगर से मु0अ0सं0 386/19 धारा 304 भादवि की घटना को अंजाम देने वाला अभियुक्त शेर सिंह उर्फ शेरु पुत्र धर्मपाल निवासी ग्राम धेदा थाना मुरादनगर जनपद गाजियाबाद को गिरफ्तार किया गया। जिसकी निशादेही से आलाकत्ल चाकू बरामद किया गया। अभियुक्त को उसके जुर्म मु0अ0सं0 386/19 धारा 304 भादवि व मु0अ0सं0 389/19 धारा 25/4 आयुद्ध अधि0 से अवगत कराकर जेल भेजा जा रहा है।

नाम पता गिरफ्तार शुदा अभियुक्त गण-
शेर सिंह उर्फ शेरु पुत्र धर्मपाल निवासी ग्राम धेदा थाना मुरादनगर जनपद गाजियाबाद।

बरामदा सामान
घटना मे प्रयुक्त आलाकत्ल चाकू

दिनांक 11.05.19 को लडकी का अपहरण करने वाला शातिर गिरफ्तार - दिनांक 11.05.19 को वादी ने लिखित सूचना दी कि उसकी पुत्री उम्र 16 वर्ष घर से कही चली गयी है। जिसके सम्बन्ध मे थाना मुरादनगर पर मु0अ0सं0 384/19 धारा 363 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया तथा अपहर्ता की तलाश की गयी।

दिनांक 13.05.19 को थाना मुरादनगर पुलिस द्वारा समय 11.20 बजे रेलवे स्टेशन मुरादनगर से मु0अ0सं0 384/19 धारा 363 भादवि की घटना को अंजाम देने वाले अभियुक्त सरफराज पुत्र नसीम बेग निवासी कुशलिया थाना मसूरी जनपद गाजियाबाद को गिरफ्तार किया गया तथा अपहर्ता की बरामदगी की गयी। अभियुक्त को उसके जुर्म से अवगत कराकर जेल भेजा जा रहा है।

नाम पता गिरफ्तार शुदा अभियुक्त गण-

सरफराज पुत्र नसीम बेग निवासी कुशलिया थाना मसूरी जनपद गाजियाबाद।

प्रैस विज्ञप्ति दिनांक: 13.05.2019 **जनपद बुलन्दशहर**

थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा 01 शातिर चोर चोरी किए गए 02 चांदी के सिक्के, 4000 रूपये व घटना मे प्रयुक्त सब्बल, मोटर साईकिल सहित गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के आदेशानुसार अपर पुलिस अधीक्षक नगर के कुशल निर्देशन एवं सहायक पुलिस अधीक्षक नगर के निकट पर्यवेक्षण मे दिनांक आज दिनांक 13.05.19 को उ0नि0 संजीव कुमार मय पुलिस फोर्स के देख–रेख शान्ति व्यवस्था तलाश वांछित अपराधी एवं संदिग्ध वाहन/व्यक्तियों की चैकिंग मे मामूर थे कि जब भूतेश्वर मन्दिर पर आये तो मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि दिनांक 10.05.19 की रात्रि मे मौ0 इन्दिरानगर मे जो सामान चोरी किया गया था, उसको लेकर एक व्यक्ति मोटर साईकिल से शमशानघाट की तरफ से आ रहा है। इस सूचना पर उ0नि0 संजीव कुमार मय फोर्स के मुखबिर द्वारा बताये स्थान पर पहुंचे तो शमशानघाट की तरफ से एक व्यक्ति मोटर साईकिल पर आता दिखाई दिया। पुलिस टीम द्वारा घेराबन्दी कर समय करीब 13.05 बजे अभियुक्त को चोरी किए गए सामान व घटना मे प्रयुक्त मोटर साईकिल सहित गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता–

1– सलमान पुत्र फरमान उर्फ लम्बू निवासी मौ0 रूकन सराय मनिहारो वाला कुआं थाना कोतवाली नगर जनपद बुलन्दशहर।

बरामदगी–

1– 02 चांदी के सिक्के।

2– 4000 रूपये नकद

3– एक सब्बल (घटना मे प्रयुक्त)

4– एक पैशन प्रो मोटर साईकिल यूपी–15सीए–7530 (घटना मे प्रयुक्त)

उल्लेखनीय है कि अभियुक्त सलमान द्वारा अपने एक अन्य साथी के साथ मिलकर दिनांक 10.05.19 की रात्रि मे वादिया श्रीमती पुष्पा शर्मा पत्नी संजीव कुमार शर्मा निवासी मौ0 इन्दिरानगर थाना कोतवाली नगर बुलन्दशहर के घर का ताला तोडकर 02 टोप्स, सोने की चैन, घडी व कुछ चांदी के सिक्के चोरी की घटना कारित की गयी थी जिसके संबंध मे थाना कोतवाली नगर पर मु0अ0सं0–377/19 धारा 457,380 भादवि पंजीकृत है। अभियुक्त सलमान द्वारा घटना मे चोरी किया गया अन्य सामान अपने साथी के पास होना बताया, जिसकी गिरफतारी के भी प्रयास किए जा रहे है।

अभियुक्त की गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

<u>पुलिस टीम–</u>

1. श्री ध्रुव भूषण दुबे प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर
2. उ0नि0 संजीव कुमार
3. का0 अशोक कुमार, का0 विशाल कुमार।

<u>प्रेस नोट दिनांक 13.05.2019 जनपद मेरठ</u>

<u>अवैध शराब के साथ अभियुक्त गिरफ्तार</u>

<u>थाना जानी पुलिस</u> द्वारा बीच का मोहल्ला हरिजन बस्ती रसूलपुर धोलड़ी से बाबूराम पुत्र राम सिंह निवासी ग्राम रसूलपुर धोलड़ी थाना जानी मेरठ को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 18 पव्वा शराब देसी दिलदार मार्का बरामद हुई। उक्त के विरुद्ध थाना जानी पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

<u>थाना गंगानगर पुलिस</u> द्वारा एयरटेल ऑफिस के पीछे से अनुज पुत्र वीर सेन निवासी सोरम थाना शाहपुर जनपद मुजफ्फरनगर हाल पता एयरटेल ऑफिस के पीछे गंगानगर को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 46 पव्वा शराब हरियाणा मार्का बरामद हुई। उक्त के विरुद्ध थाना गंगानगर पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गौतमबुद्धनगर
दिनांक 13.05.2019 सराहनीय कार्य

थाना कासना

03 शातिर जालसाज/धोखाधडी कर फर्जी दस्तावेज तैयार करने वाले अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 1240 मोबाईल फोन ओपो कम्पनी के (कीमत लगभग 02 करोड रूपये) व 44400 रूपये नगद बरामद।

दिनांक 13.05.2019 को थाना कासना पुलिस द्वारा 03 शातिर जालसाज/धोखाधडी करने वाले अभियुक्तों को पी 3 गोल चक्कर के पास से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तो के कब्जे से 1240 मोबाईल फोन ओपो कम्पनी के (कीमत लगभग 02 करोड रूपये) व 44400 रूपये नगद बरामद हुये है।
अभियुक्तगण शातिर किस्म के चोर एंव जालसाज व धोखाधडी कर फर्जी दस्तावेज तैयाार/आई डी/ ड्राईविग लाइसेंस तैयार करना । कम्पनियों को धोखा देकर ओपो के 2.5 करोड के मोबाईल फोन हडप लेना जिसके सम्बन्ध में थाना कासना पर मु0अ0स0 378/19 धारा 407/420/467/468/471/34 भादवि पंजीकृत किया गया था।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण–
1–देवेन्द्र पुत्र कौशल नि0 घोडी बछेडा थाना दादरी जिला गौतमबुद्धनगर।
2. फिरोज खान पुत्र जफरूददीन नि0 श्याम नगर खजूर के पेड के पास थाना लिसाडी गेड जिला मेरठ।
3. अलीमुददीन पुत्र साहबुददीन नि0 म0न0 ठ पूरबा फयाज गली थाना देहली गेट जिला ।

बरामदगी का विवरणः–
1. 1240 मोबाईल फोन ओपो कम्पनी के जिनकी कीमत करीब 02 करोड रूपये ।
2. 44400 रूपये नगद।

आपराधिक इतिहास अभियुक्तगण :–
अभियुक्त अलीमुददीन का आपराधिक इतिहास –
1. मु0अ0सं0 316/03 धारा 3/4 जुआ अधि0 थाना देहली गेट मेरठ।
2. मु0अ0स0 93/04 धारा धारा 3/4 जुआ अधि0 थाना देहली गेट मेरठ।
3. मु0अ0स0 209/07 धारा 110 जी सीआरपीसी थाना देहली गेट मेरठ।
4. मु0अ0स0 217/11 धारा 307 भादवि थाना टीपीनगर जिला मेरठ।
5. मु0अ0स0 74/19 धारा 406 भादवि थाना सैक्टर 58 जिला गौतमबुद्धनगर।

6. मु0अ0स0 378/19 धारा 407/420/467/468/471/34 भादवि थाना कासना जिला गौतमबुद्धनगर।

अभियुक्त देवेन्द्र का आपराधिक इतिहास –:

1.मु0अ0स0 398/18 धारा 407 भादवि थाना खतौली जिला मुजफ्फरनगर ।

2.मु0अ0स0 74/19 धारा 406 भादवि थाना सैक्टर 58 जिला गौतमबुद्धनगर।

3.मु0अ0स0 378/19 धारा 407/420/467/468/471/34 भादवि थाना कासना जिला गौतमबुद्धनगर।

अभियुक्त फिरोज का आपराधिक इतिहास–:

1. मु0अ0स0 27/15 धारा 379/411 भादवि थाना कोतवाली जिला बुलन्दशहर।
2. मु0अ0स0 577/15 धारा 452/323/504/506 भादवि थाना कोतवाली जिला बुलन्दशहर।
3. मु0अ0स0 74/1 धारा 406 भादवि थाना सैक्टर 58 जिला गौतमबुद्धनगर।
4. मु0अ0स0 378/19 धारा 407/420/467/468/471/34 भादवि थाना कासना जिला गौतमबुद्धनगर।

थाना फेस 3

फर्जी दस्तावेज तैयार करने वाले गिरोह का पर्दाफाश 07 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 05 फर्जी मार्कशीट, 06 फर्जी आधार कार्ड, 05 फर्जी अन्य प्रमाण पत्र, 01 लैपटॉप, 01 सीपीयू, 01 टीएफटी, 01 स्कैनर/प्रिन्टर तथा 01 लैमिनेटर बरामद।

दिनांक 13.05.2019 को थाना फेस 3 पुलिस द्वारा 07 शातिर जालसाज/धोखाधडी करने वाले अभियुक्तों को सैक्टर 71 जनता फ्लैट के सामने पार्क के पास से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तो के कब्जे से 05 फर्जी मार्कशीट, 06 फर्जी आधार कार्ड, 05 फर्जी अन्य प्रमाण पत्र, 01 लैपटॉप, 01 सीपीयू, 01 टीएफटी, 01 स्कैनर/प्रिन्टर तथा 01 लैमिनेटर बरामद हुये है।

अभियुक्तगण शातिर किस्म जालसाज व धोखाधडी कर फर्जी दस्तावेज तैयार/आई डी/ ड्राईविग लाइसेंस तैयार करना । दिनांक 12.05.2019 को थाना फेस 3 की चौकी गढी चौखण्डी नोएडा के पवन कुमार वर्मा पुत्र राम मोहन वर्मा नि0 सैक्टर 71 ब्लाक सी 194 गेट नं0 03 लॉयन्स वर्क फोर्स द्वारा उसकी कम्पनी में फर्जी दस्तावेज दिखाकर नौकरी पाने के सम्बन्ध में थाना फेस 3 पर मु0अ0स0 548/19 धारा 420/467/468/471 भादवि बनाम श्रीनिवास व 06 अभियुक्तों के विरूद्ध पंजीकृत कराया गया था।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण–

1. जोगेन्द्र कुमार पुत्र रामवीर निवासी गांव मेहताब नगर थाना सिकन्दराबाद।
2. सौरभ कुमार पुत्र विजन सिंह निवासी ग्राम आलौदा जागीर थाना ककौड़ जिला बुलन्दशहर।

3. प्रदीप कुमार पुत्र श्रीचन्द निवासी गांव आलौदा जागीर थाना ककौड़ जिला बुलन्दशहर।
4. श्रीनिवास पुत्र श्रीचन्द निवासी गांव आलौदा जागीर थाना ककौड़ जिला बुलन्दशहर।
5. मनवीर पुत्र चन्द्रपाल निवासी ग्राम जड़ाना थाना खैल जिला अलीगढ़।
6. रविन्द्र कुमार पुत्र यतेन्द्र भाटी निवासी ग्राम लौहारली थाना दादरी जिला गौतमबुद्धनगर।
7. सदाकत पत्र अहमद शहीद निवासी ग्राम मंहेदीपुर थाना रबूपुरा जनपद गौतमबुद्ध नगर।

बरामदगी का विवरणः—

1. 05 फर्जी मार्कशीट,
2. 06 फर्जी आधार कार्ड,
3. 05 फर्जी अन्य प्रमाण पत्र,
4. 01 लैपटॉप,
5. 01 सीपीयू,
6. 01 टीएफटी,
7. 01 स्कैनर/प्रिन्टर
8. 01 लैमिनेटर

अभियोग का विवरण —:

— मु0अ0स0 548/19 धारा 420/467/468/471 भादवि थाना फेस 3 नोएडा।